(189)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०2-105/2026- 493 पटना, दिनांक- 06.03.2026

दिनांक-26.02.26 को सहरसा अंचल अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों में संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं की क्रियाशीलता, लंबित विद्युत विपत्रों के भुगतान से संबंधित स्थिति, CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की स्थिति एवं अन्य मामलों की समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा के क्रम में संवेदकों द्वारा लंबी अवधि से मरम्मति संपोषण की राशि का भुगतान लंबित रहने की सूचना दी गयी। तद्लोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-12/ज0गु0-1054/2019-360, दिनांक-26.02.2026 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा से संबंधित बिन्दुओं के आलोक में जाँच कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

02. जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि मधेपुरा प्रमंडल से प्राप्त कुल 46 अदद मरम्मति एवं सम्पोषण मद से संबंधित एकरारनामाओं में भुगतान की गयी राशि एकरारित राशि के सापेक्ष नहीं है एवं अद्यतन भुगतान 0 से 30 प्रतिशत के बीच है। कुल 12 अदद एकरारनामाओं में मरम्मति एवं सम्पोषण मद में भुगतान शून्य है, जबकि शेष 34 अदद एकरारनामाओं में मरम्मति एवं सम्पोषण मद में व्यय की गयी राशि एकरारित राशि के 30 प्रतिशत से कम है।

03. इन 46 अदद एकरारनामाओं में से योजनाओं की मरम्मति एवं सम्पोषण की अवधि माह जून, 2020 से मई, 2022 के दौरान प्रारम्भ हुई है। इस प्रकार लगभग 03 वर्ष एवं इससे अधिक अवधि के मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य के बावजूद भी संवेदकों को 0 से 30 प्रतिशत के बीच ही भुगतान किया गया है, जबकि विभागीय पत्रांक-6बी/वि0-1030/2019-180, दिनांक-23.02.2023 एवं विभागीय पत्रांक-1304, दिनांक-28.08.2025 के द्वारा निदेशित किया गया है कि योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण मद में प्रत्येक तिमाही का अधियाचित राशि मुख्यालय से प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित किया जाय। इतनी लंबी अवधि से संवेदकों का भुगतान लंबित रहने से स्पष्ट है कि श्री कुमार निखिल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा विभागीय निदेश का पालन करने में लापरवाही बरती गयी है।

04. समिति द्वारा दिनांक-12.12.2025 से दिनांक-20.02.2026 की अवधि के दौरान श्री निखिल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा समर्पित 13 अदद अधियाचनाओं की रैण्डम जाँच की गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि स्वीकृत्यादेश संख्या-1334 के विरुद्ध प्रमंडलीय पत्रांक-28, दिनांक-09.01.2026 द्वारा प्रेषित अधियाचना से संबंधित विद्युत उपभोक्ता संख्या

Vnck/A K

यथा-107204891967, 107204891900, 107204891659, 107204891968, 107205359855, 107205262249, 107205782004, 107205262210, 107205213486, 107205213456, 107205213431 एवं 107205213499 के विद्युत विपत्र में अंकित मासिक ऊर्जा खपत काफी कम है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में योजनाओं की क्रियाशीलता काफी कम रही होगी। प्रमंडलीय पत्रांक-286, दिनांक-03.02.2026 द्वारा उक्त स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध प्रेषित अधियाचना से संबंधित उपभोक्ता संख्या-107404950640 एवं 107404950504 के विद्युत विपत्रों में दर्शाये गये उर्जा खपत त्रुटिपूर्ण होने के साथ साथ कतिपय माहों में क्रियाशीलता काफी ज्यादा है। योजनाओं में विद्युत खपत अत्यधिक अथवा काफी कम रहने से स्पष्ट है कि श्री निखिल द्वारा अधियाचना प्रेषण के पूर्व विद्युत विपत्रों में पायी गयी त्रुटि की सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं बिना जाँच के हीं प्राप्त विपत्र के आधार पर अधियाचना का प्रेषण मुख्यालय को कर दिया गया है, जो उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

05. लंबी अवधि तक योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण मद की राशि का अधियाचना विधिवत मुख्यालय नहीं भेजे जाने से यह स्पष्ट है कि कतिपय कारणों यथा पम्प चालक का भुगतान लंबित रहना, विद्युत संयोजन/विद्युत विपत्र भुगतान में त्रुटि/कमी, लिकेज इत्यादि, से योजना एवं जलापूर्ति बाधित रही है। इस संबंध में श्री निखिल की जिम्मेवारी थी कि योजनाओं की सतत् क्रियाशीलता संवेदक के माध्यम से बरकरार रखी जाती एवं इस हेतु ससमय अधियाचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती।

06. समिति द्वारा की गयी जाँच में यह भी पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत CGRC Portal पर कुल 1288 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 1256 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 32 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। कुल 10 अदद शिकायतें ऐसी है, जो 15 दिनों से ज्यादा अवधि से लंबित है।

07. इस संबंध में दिनांक-26.02.2026 को आयोजित विभागीय कार्यो की समीक्षात्मक बैठक में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत CGRC Portal पर कुल 1265 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 1236 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 29 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 54 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है, जो अभी भी लंबित है। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 11 अदद है। इसके अतिरिक्त 588 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया है।

08. श्री कुमार निखिल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा के स्तर से CGRC Portal पर कुल 1236 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया है, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष

से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 54 अदद शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया है, जिसके कारण सभी 49 प्रमंडलों के विभागीय रैंकिंग में मधेपुरा प्रमंडल 21वें रैंकिंग पर है, जबकि मधेपुरा प्रमंडल में सभी योजनाएँ विभाग द्वारा निर्मित है।

09. CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में लंबित शिकायतों से स्पष्ट है कि श्री निखिल द्वारा विभागीय संकल्प के अनुसार जलापूर्त्ति योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। Portal पर पूर्व से निष्पादित शिकायतों के Reopen होने एवं एक से अधिक बार Reopen होने से यह स्पष्ट है कि संबंधित शिकायतों का निष्पादन किये बिना ही भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

10. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं के संचालन पर कुल 388.52 लाख रूपये का विपत्र विद्युत कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से मात्र 280.43 लाख रूपये का भुगतान संवेदकों द्वारा विद्युत कम्पनी को किया गया है, जबकि 108.09 लाख रूपये भुगतान हेतु अभी भी लंबित है, जो एक बड़ी राशि है।

11. मुख्यालय स्तर से पत्र एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रमंडल अन्तर्गत लंबित सभी विद्युत विपत्रों का शीघ्र भुगतान विद्युत कम्पनियों को करने का निदेश समय-समय पर दिया जाता रहा है, परन्तु इसके बावजूद श्री निखिल द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

12. अत्यधिक मात्रा में विद्युत विपत्रों के लंबित भुगतान के कारण संबंधित विद्युत कम्पनियों द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं के विद्युत विच्छेदन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त योजनाओं के लाभुक आमजन स्वच्छ जलापूर्त्ति से वंचित होंगे एवं बिहार सरकार की अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना ''हर घर नल का जल'' के क्रियान्वयन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

13. मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक-27.12.2025 को मधेपुरा प्रमंडलान्तर्गत बिहारीगंज, मुरलीगंज एवं मधेपुरा प्रखंड स्थित ''हर घर नल का जल'' योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत राजगंज पंचायत के वार्ड संख्या-13 में निरीक्षण के दौरान जलापूर्त्ति योजना बंद पायी गयी एवं लाभुकों द्वारा बताया गया है कि पम्प चालक द्वारा पम्प नहीं चलाया जाता है एवं पानी में आयरन की अधिक मात्रा रहती है। पंचायत-कुस्थन के वार्ड संख्या-04 में लाभुकों द्वारा योजना सुचारू रूप से नहीं चलने एवं जलापूर्त्ति बाधित होने की समस्या बतायी गयी। उक्त वार्ड में भी जलापूर्त्ति में आयरन की अधिक मात्रा पाये जाने की शिकायत की गयी। मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रजनी पंचायत के वार्ड संख्या-15(A) में लाभुकों द्वारा जलापूर्त्ति बंद रहने एवं पाईप क्षतिग्रस्त रहने की

186

बातायी गयी। वार्ड संख्या-13 में कुछ दिनों से योजना बंद रहने संबंधी शिकायत पायी गयी। कोल्हायपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या-07 में लाभुकों द्वारा योजना से पानी नहीं मिलने एवं योजना अन्तर्गत पाईप क्षतिग्रस्त रहने की शिकायत पायी गयी। मधेपुरा प्रखंड के मधुबन पंचायत के वार्ड संख्या-09 एवं 10 में योजना से जलापूर्त्ति बंद पायी गयी।

14. श्री कुमार निखिल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा MIS Portal पर जिन जलापूर्त्ति योजनाओं को चालू दिखाया गया था, उन योजनाओं को मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री निखिल द्वारा गलत प्रतिवेदन अपलोड कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण विभागीय पत्रांक-86, दिनांक-13.01.2026 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग भी की गयी थी, जिसके आलोक में श्री निखिल के पत्रांक-137, दिनांक-21.01.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया है।

15. विभाग द्वारा श्री निखिल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री निखिल द्वारा मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के स्तर से निरीक्षण में पायी गयी त्रुटियों के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए त्रुटियों का निराकरण कराये जाने एवं संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा भी मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र द्वारा किये गए निरीक्षण में पायी गयी त्रुटियों को स्वीकार किया गया है, परन्तु उन त्रुटियों का निराकरण स्पष्टीकरण पूछे जाने के उपरान्त किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री निखिल ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत लाभुकों को स्वच्छ एवं सतत जलापूर्त्ति आपूरित किये जाने के लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।

16. श्री निखिल द्वारा ससमय शिकायतों का निराकरण नहीं कराने एवं बिना जाँच-परख किये गलत अधियाचना मुख्यालय को समर्पित किये जाने से यह स्पष्ट है कि वे इस मामले में संवेदनशील नहीं हैं। शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं कराने एवं मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र द्वारा की गयी औचक जाँच में पायी गयी त्रुटियों से स्पष्ट है कि सरकार की अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना ''हर घर नल का जल'' के लाभुक शुद्ध पेयजलापूर्त्ति के लाभ से वंचित है। इस संबंध में पूर्व में भी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में श्री निखिल को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु इसके बावजूद उनके क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया है। श्री निखिल के स्तर से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा संवेदकों के विरूद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी और न ही उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों/विभाग को प्रस्ताव ही उपलब्ध कराया गया। श्री निखिल के प्रमंडल में

पदस्थापित रहने से विभागीय योजनाओं के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

17. श्री निखिल का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री निखिल प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री कुमार निखिल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

18. निलंबन अवधि में श्री निखिल का मुख्यालय, मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर रहेगा।

19. निलंबन के दौरान श्री निखिल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

20. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-105/2026- 494 पटना, दिनांक- 06.03.2026

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-105/2026- 494 पटना, दिनांक- 06.03.2026

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०/कार्य प्रबंधन) कोषांग/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सहरसा अंचल/प्रशाखा पदाधिकारी-01, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री कुमार निखिल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-105/2026- 494 पटना, दिनांक- 06.03.2026

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)